(274)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(1168)-नविवि/3/10 दिनांक 20 OCT 2010

आदेश

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 13.9.10 एवं 14.9.10 को जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं न्यास सचिवों के साथ हुई चर्चा में लिए गये निर्णय के क्रम में धारा 90 बी भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणें के त्वरित निस्तारण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:--

1. 90 बी के प्रकरणों के संबंध में राजस्व तहसीलदार की अनापति प्राप्त करने हेतु अनावश्यक रूप से प्रकरण लम्बित नहीं रखा जावे यदि निर्धारित अवधि में संबंधित राजस्व तहसीलदार द्वारा अनापत्ति प्रेषित नहीं की जाती है तो प्राधिकरण/न्यास में पदस्थापित राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।
2. परिपत्र 25.02.09 के अनुरूप धारा 90 बी, ले-आउट प्लान व मास्टर प्लान में भू उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र आवेदक से एक साथ प्राप्त किये जावे तथा प्रार्थना पत्रों पर समानान्तर कार्यवाही परिपत्र दिनांक 25.02.09 की अनुपालना में की जावे।
3. नवीन टाउनशिप पालिसी 2010, अधिसूचना दिनांक 28.06.10 द्वारा लागू किया गया है। उक्त टाउनशिप पालिसी व परिपत्र 25.02.09 को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित प्राधिकरण/न्यास प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु चैक लिस्ट तैयार करे तथा नागरिक सेवा केन्द्र से आवेदक के आवेदन पत्र प्राप्त होते ही चैकलिस्ट के अनुसार उनका निस्तारण प्रारम्भ किया जावे। जिन प्रकरणों को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है उनमें पूर्व प्रसंगों, पूर्व विवरण, मानचित्र व चैकलिस्ट न्यास/समिति का प्रस्ताव इत्यादि सहित भिजवाया जावे।
4. लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्राधिकरण/न्यास स्तर पर प्रत्येक माह शिविर आयोजित किये जावे ताकि अधिक से अधिक योजनाओं का निस्तारण हो सके।
5. विभिन्न प्राधिकरण/न्यासों/स्थानीय निकायों में धारा 90 बी का भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत जारी पट्टे/लीजडीड के हस्तान्तरण हेतु हस्तान्तरण शुल्क राशि वसूली प्रक्रिया में एकरूपता नहीं है। ऐसे प्रकरणों मे राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन नियम) 1974 के नियम 17 (6)(a) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस कारण भविष्य में धारा 90 बी भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड के पट्टे लीजडीड के प्रथम हस्तान्तरण में 10/-रू. प्रति वर्गगज तथा गैर आवासीय लीजडीड पट्टे के हस्तान्तरण पर 20/-रू. प्रति वर्गगज शुल्क वसूल किये जाये। इसके पश्चातवर्ती प्रत्येक हस्तान्तरण पर आवासीय लीजडीड हस्तान्तरण पर 20/- रू. एवं गैर आवासीय पर 40/- रू. प्रति वर्गगज से वसूल किये जाये।
6. जिन कृषि भूमियों का अकृषि प्रयोजनार्थ विक्रय दिनांक 17.06.99 के पूर्व हो चुका है व उनमें कॉलोनियां/योजना विकसित हो चुकी है किन्तु खातेदार/ विकासकर्त्ता/सहकारी समिति द्वारा ले-आऊट प्लान पेश नही किया गया है। उन कॉलोनी/योजना का 2 माह में पी.टी./ टोटल स्टेशन सर्वे का कार्य नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित करते हुए कर लिया जाये। उक्त सर्वे के पश्चात ले-आउट अनुमोदन का कार्य दिनांक 31.12.10 तक कर लिया जावे एवं दिनांक 17.6.99 से पूर्व के समस्त प्रकरणों का निस्तारण 31.03.11 से पूर्व आवश्यक रूप से किया जाये।

(निष्काम दिवाकर)
उपशासन सचिव-द्वितीय